UPBJ010071252022

न्यायालय Addl. Sessions Judge/FTC-II, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Km. Alka Chaudhary), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01788**

व्यवहार सिविल अपील सं0– 82/2022

सुनील कुमार **बनाम** राजेश कुमार आदि।

दिनांक–23.01.2025

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र क–71 पर सुना गया। आदेशार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र क–71

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र क–71 अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय शपथ पत्र ग–72 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपील उपरोक्त में रैस्पोन्डेन्ट सं0 2 का देहांत दिनांक 13.09.2022 को हो गया था जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र कायमी वारिसान क–25 लंबित है। प्रार्थना पत्र लंबन के दौरान ही प्रस्तावित रैस्पोंडेंट 2/1 श्रीमति जगदीशी का देहांत भी दिनांक 18.08.2024 को हो गया जिसकी सूचना अधिवक्ता रैस्पोंडेंट द्वारा दिनांक 24.09.2024 को दी। मृतक जगदीशी के वारिसान पत्र कायमी वारिसान क–25 में पूर्व से ही पक्षकार है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र कायमी वारिसान में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 1 के अनुसार प्रार्थना पत्र कायमी वारिसान क–25 में संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रत्युत्तरदातागण की ओर से कोई लिखित अथवा मौखिक आपत्ति उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली कायमी वारिसान प्रार्थना पत्र क–25 के निस्तारण हेतु नियत चल रही है। इस स्तर पर अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र क–71 प्रार्थना पत्र कायमी वारिसान में संशोधन किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रार्थना पत्र क–25 रैस्पोन्डेन्ट सं0 2 बेगराज सिंह की मृत्यु उपरांत उसके विधिक वारिसानों को प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र के लंबन के दौरान ही प्रस्तावित रैस्पोंडेंट 2/1 श्रीमति जगदीशी का भी देहांत दिनांक 18.08.2024 को हो गया, जिस कारण प्रार्थना पत्र क–25 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र कायमी वारिसान क–25 में उल्लिखित रैस्पोंडेंट सं0 2 बेगराज सिंह के वारिसान सं0 2/5 'पिंकी पुत्री बेगराज सिंह' का नाम टंकणीय त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है, जिसके स्थान पर 'निशी पुत्री बेगराज सिंह' दुरूस्त होना न्यायहित में आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रत्युत्तरदातागण की ओर से नहीं की गयी है। याचित संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रस्तुत अपील के गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने हेतु अपीलार्थी को संशोधन की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र क–21 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र क–71 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रार्थना पत्र कायमी वारिसान क–25 में संशोधन अन्दर तीन दिवस करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण/सुनवाई प्रार्थना पत्र ग–23 अतंर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट बाबत प्रार्थना पत्र कायमी वारिसान क–25 दिनांक 31.01.2025 को पेश हो।

(अलका चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं0 2, बिजनौर।

Digitally signed by ALKA CHAUDHARY
Date: 2025.01.23 15:24:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court